

न्यायालय श्री उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

पीठासीन अधिकारी:—श्री रतनलाल रेगर आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या:— 249/19

प्रार्थीगण:—

1. आदुराम पुत्र श्री जसाराम
  2. जेठाराम पुत्र श्री जसाराम
  3. मुलाराम पुत्र श्री जसाराम
  4. गोमाराम पुत्र श्री जसाराम
  5. रामूराम पुत्र श्री जसाराम
- जातियान जाट निवासी पड़ासला  
तहसील बापिणी, जिला जोधपुर।

**बनाम**

अप्रार्थी:— श्रीमान् तहसीलदार बापिणी

उपस्थित —

प्रार्थी — अधिवक्ता श्री अमरसिंह भाटी।

अप्रार्थी —सरकारी पैरोकार।

**निर्णय**

दिनांक:— 2/8/19

इस प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत किया गया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं:— ग्राम पड़ासला तहसील बापिणी की सरहद में प्रार्थीगण व अन्य खातेदारान की संयुक्त खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 142 रकबा 23 बीघा, खसरा नम्बर 144 रकबा 26 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 146 रकबा 10 बीघा 08 बिस्वा, खसरा नम्बर 195 रकबा 69 बीघा 08 बिस्वा, खसरा नम्बर 228 रकबा 05 बीघा 06 बिस्वा, खसरा नम्बर 305 रकबा 27 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 339 रकबा 12 बीघा 03 बिस्वा, खसरा नम्बर 343 रकबा 50 बीघा 08 बिस्वा, खसरा नम्बर 420 रकबा 15 बीघा 10 बिस्वा कुल खसरा 9 कुल रकबा 240 बीघा 06 बिस्वा आई हुई है। जिसमें प्रार्थीगण का संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा है। उक्त भूमि के राजस्व रेकॉर्ड में प्रार्थीगण के पिता का नाम राजस्व



*(Signature)*  
सहायक कलेक्टर, जोधपुर

कर्मचारियों द्वारा भूलवश व लिपिकिय त्रुटिवश जसाराम के स्थान पर जेयाराम गलत दर्ज कर दिया। जबकि हमारे पिताजी का वास्तविक नाम जसाराम है। प्रार्थीगण के अन्य सभी दस्तावेज आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पेनकार्ड इत्यादि में भी पिताजी का नाम जसाराम दर्ज है। उक्त राजस्व रेकॉर्ड में नाम त्रुटि केवल मात्र राजस्व कर्मचारियों की सद्भाविक भूल के कारण हुई हैं। जो वर्तमान में उसी अनुसार राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज हैं। राजस्व रेकॉर्ड में रही त्रुटि को लेकर प्रार्थीगण को भयंकर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है जिस वजह से प्रार्थीगण अपनी भूमि पर भूमि सुधार कार्य करने बाबत तमाम कार्य रुके हुए पड़े हैं। इसलिए राजस्व रेकॉर्ड में प्रार्थीगण के पिता का नाम जेयाराम जो गलत है के स्थान पर सही नाम जसाराम दर्ज किया जाना न्याय हित में आवश्यक है। प्रार्थीगण के पिता का नाम जेयाराम के स्थान पर जसाराम दर्ज किया जाता है तो किसी अन्य खातेदारान को कोई उजर एतराज नहीं है न ही किसी खातेदार का हक हिस्सा प्रभावित होगा। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान् से निवेदन हैं कि रेकॉर्ड दुरस्ती के जरिये प्रार्थीगण व अन्य की संयुक्त खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 142 रकबा 23 बीघा, खसरा नम्बर 144 रकबा 26 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 146 रकबा 10 बीघा 08 बिस्वा, खसरा नम्बर 195 रकबा 69 बीघा 08 बिस्वा, खसरा नम्बर 228 रकबा 05 बीघा 06 बिस्वा, खसरा नम्बर 305 रकबा 27 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 339 रकबा 12 बीघा 03 बिस्वा, खसरा नम्बर 343 रकबा 50 बीघा 08 बिस्वा, खसरा नम्बर 420 रकबा 15 बीघा 10 बिस्वा कुल खसरा 9 कुल रकबा 240 बीघा 06 बिस्वा मौजा पड़ासला तहसील बापिणी के राजस्व रेकॉर्ड में प्रार्थी के पिता का नाम जेयाराम दर्ज है जो गलत है उसके स्थान पर सही नाम जसाराम दर्ज करने का आदेश फरमावें।

उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस प्रेषित किये। अप्रार्थी की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थना पत्र पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया, अप्रार्थी की ओर से प्रस्तुत जवाब का अवलोकन किया गया। जिससे यह




  
सहायक कलेक्टर, बापिणी


स्पष्ट है कि प्रार्थीगण के पिता का सही नाम जसाराम है तथा राजस्व रेकर्ड में जेयाराम के स्थान पर जसाराम दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण की भूमि ग्राम पड़ासला तहसील बापिणी के खसरा नम्बर 142 रकबा 23 बीघा, खसरा नम्बर 144 रकबा 26 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 146 रकबा 10 बीघा 08 बिस्वा, खसरा नम्बर 195 रकबा 69 बीघा 08 बिस्वा, खसरा नम्बर 228 रकबा 05 बीघा 06 बिस्वा, खसरा नम्बर 305 रकबा 27 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 339 रकबा 12 बीघा 03 बिस्वा, खसरा नम्बर 343 रकबा 50 बीघा 08 बिस्वा, खसरा नम्बर 420 रकबा 15 बीघा 10 बिस्वा कुल खसरा 9 कुल रकबा 240 बीघा 06 बिस्वा में प्रार्थीगण के पिता का नाम जेयाराम के स्थान पर जसाराम दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है तथा पालना हेतु तहसीलदार बापिणी को तहरीर जारी हो।



  
सहायक कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

आज दिनांक 2/8/19... को खुला न्यायालय में आदेश सुनाया गया।

  
सहायक कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी, ओसियां